देवस्थान विभाग द्वारा विभागीय सम्पदाओं के किराये से संबंधी नीति का विवरण

दिनांक	आदेश का सार	संलग्न / ध्वज संख्या	टिप्पणी
21.02.58	किराये एवं लीज पर देने का अधिकार सहायक आयुक्त देवस्थान को	1	
15.09.67	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों से वसूली के निर्देश	2	
31.03.74	देवस्थान विभाग व अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों के किराये का निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों से	3	
11.10.77	आवासीय एवं वाणिज्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त सम्प्रदाओं के किरायें के निर्धारण हेतु समिति का गठन	4	समिति– 1. देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त 2. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता 3. क्षेत्रीय नगर दण्डनायक / उपखण्ड अधिकारी
23.08.78	अनुमोदित किराया दिनांक 01.07.78 से वसूल करने के निर्देश	5	
11.12.79	किसी सम्पदा को बिना राज्य सरकार की अनुमति से न दिये जाने के निर्देश	6	
15.05.81	देवस्थान सम्पदा को किराये पर दिये जाने की प्रकिया संबंधी निर्देश।	7	
04.12.82	समिति का नवीन निर्धारण	8	समिति– 1. अतिरिक्त जिलाधीश / उपखण्ड अधिकारी 2. देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त 3. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता
26.04.91	किराया निर्धारण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य स्तरीय समिति	9	

	का गठन		
02.04.93	राज्य सरकार द्वारा नवीन किराया नीति जारी	10	राज्य सरकार द्वारा पहली बार किराया नीति जारी
10.03.93	नीति में औपचारिक बिन्दुओं के संशोधन हेतु पत्र	11	
06.05.94	लम्बित एवं विवादित किरायादारी प्रकरणों के निस्तारण हेतु अभियान संचालित करने के लिए समिति का गठन।	12	समिति– 1 सहायक आयुक्त देवस्थान 2. जिला कलक्टर का प्रतिनिधि (सहायक जिलाधीश अथवा समकक्ष) 4. विभागीय अभियंता/सहायक अभियंता सा.नि.वि.
12.12.96	देवस्थान मंत्री की अध्यक्षता में नवीन नीति के निर्धारण हेतु बैठक।	13	
06.06.2000	नवीन नीति का निर्धारण। (आदेश)	14	सा.नि.वि. द्वारा वर्ष 1995 के अनुसार निर्धारित स्टेण्डिग ऑर्डर दर के आधार पर किराया निर्धारण एवं नियमन की व्यवस्था • **व्यावसायिक संपत्तियों हेतु–** –किराया– निर्धारित किराया का 30 प्रतिशत –नियमन– निर्धारित किराया का 60 गुना एक मुश्त, यदि प्रकरण साझेदारी का हो –नियमन– निर्धारित किराया का 120 गुना एक मुश्त, यदि प्रकरण उप किरायेदारी का हो • **आवासीय संपत्तियों हेतु किराया–** निर्धारित किराया का 30 प्रतिशत –नियमन– निर्धारित किराया का 60 गुना एक मुश्त, यदि प्रकरण साझेदारी का हो • **राज्य/केन्द्र सरकार/ अर्द्धसरकारी संस्था/जनहित में कार्यरत संस्था हेतु–** –किराया– सा.नि.वि. द्वारा वर्ष 1995 के अनुसार निर्धारित स्टेण्डिग ऑर्डर दर के आधार पर – • **चौकीदार एवं पुजारियों हेतु–** जीएडी के निर्धारित किराया मानदण्डों के अनुसार • **राज्य से बाहर की संपत्तियों हेतु–**

			उस क्षेत्र के लिए लागू सा.नि.वि. की बीएसआर दर के अनुसार • किराये में वृद्धि– 3 वर्ष बाद 15 प्रतिशत • समस्त भावी संपत्तियों का किराये पर आवंटन– नीलामी के द्वारा देवस्थान की रिक्त भूमियों पर दानदाताओं द्वारा निर्माण करने पर राज्य सरकार द्वार गुण–दोष के आधार पर स्वीकृति
2010	राजस्थान देवस्थान विभागीय किराया नियम, 2010 का प्रारूप तैयार, किन्तु अनुमोदन व क्रियान्वयन नहीं	15	•
2012	राजस्थान देवस्थान विभागीय किराया. नियम, 2012 का संशोधित प्रारूप तैयार, किन्तु अनुमोदन व क्रियान्वयन नहीं		•
2017	राजस्थान देवस्थान विभागीय किराया नियम, 2017 के नवीन प्रारूप की कार्यवाही प्रारंभ		•

157

परिशिष्ट - I

113

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(General Administration Department "A")

....

NOTIFICATION.

Dated Jaipur, the 12th February, 1958

No.D.94/IDR/58/F.1(61)GN/A/56- In pursuance of clause (1) of article 299 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan is hereby pleased to authorise the Assistant Commissioner, Devasthan at Jaipur, Jodhpur, and Udaipur, to execute leases or rent-deeds made in the exercise of the executive powers of the state of Rajasthan in respect of the property in-charge of the Devasthan Department.

By order of the Governor,
K.N.Subramaniam,
Chief Secretary,
to the Government of Rajasthan

No.D.94/IDR/58/F.1(61)GN/A/56 dated the 21st February, 1958.

Copy forwarded to :-

6. All Heads of Departments.

sd/-
Deputy Secretary to Government.

158

19 114

परिशिष्ट II

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (A) DEPARTMENT
.....

No. F.3(A)(56)Rev/A/63-II Jaipur dated the 15 Sept., 1967

ORDER

On the recommendation of the Chairman, Property Disposal Committee Devasthan Department, the Government has been pleased to order that all buildings and open plots belonging to Devasthan Department which are on rent and are occupied by other Department of Government will be assessed by the Public Works Department (R&B) and the concerned Departments may provide funds in their Departmental budget for payment of rent to the Devasthan Department.

This issues with the concurrence of Finance Department vide their I.D.No. 1431/FD/F/II/67 dated the 1st September, 1967.

sd/-
Secretary to Government.

Copy forwarded to the :-

1. The Chief Engineer, P.W.D.(B&R), Rajasthan Jaipur with the request that he will please issue necessary instructions to the Executive Engineers of all Districts to assess the rent within six months and send the same to Government with a copy to Devasthan Commissioner Rajasthan Udaipur.
2. All Heads of Department and Collectors for information.
3. Commissioner, Devasthan Department, Rajasthan, Udaipur.
4. Shri S.P.Singh Bhandari, Chairman, Devasthan Properties Disposal Committee Jaipur.

sd/-
(Sheo Ram Jain)
Deputy Secretary to Government

परिशिष्ट III

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग
====

निमित,

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर ।

क्रमांक एफ.14(38)राज-1/73 दिनांक 31 जुलाई 74.

विषय:- देवस्थान विभाग के प्रबन्धाधीन मन्दिरों की जायदाद में सरकारी कर्मचारियों के किराये पर रहने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके पत्र संख्या एफ7(47)सा/देव/70/1353 दिनांक 23-2-73 एफ7(34)सामान्य/देव/70/2073 दिनांक 19-2-74 तथा एफ2(61) रेन्ट/देव/73/3941 दिनांक 8-4-74 के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सरकारी कर्मचारी देवस्थान के मकानों में किराये पर रह रहे है उनसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किराया तय कराके लिया जावे। पूर्व में जो किरायेदार बिना पी0डब्ल्यू0डी0 ऐसेसमेन्ट रेट के मामूली किराये पर रह रहे है उनका किराया पी0डब्ल्यू0डी0 ऐसेसमेन्ट की दर तक बढ़ाया जावे। जो सरकारी कर्मचारी एसेसड किराया नहीं देते उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे व मुकदमा सम्पदा अधिकारी की कोर्ट में उनके विरुद्ध दर्ज कराया जावे। देवस्थान विभाग के रिहायशी मकानों का नीलाम करना उचित नहीं है केवल वाणिज्य व्यापार के काम आने वाले मकान दुकान ही नीलामी द्वारा किराये पर दिये जाया करें।

आपने अपने पत्र संख्या एफ2(61)रेन्ट/देव/73/3941 दिनांक 8-4-74 द्वारा जयपुर स्थित सम्पदाओं में रहने वाले जिन 48 किरायेदारों की सूची भेजी है उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन 48 किरायेदारों में से जो किरायेदार बिना सार्वजनिक निर्माण विभाग या देवस्थान विभाग के तकनीकी स्टाफ द्वारा तय कराये हुये किराये पर रह रहे है उनसे पी0डब्ल्यू0डी0 फार्मूले के अनुसार किराया निर्धारित करके लिया जावे और जो लोग ऐसेसड किराया नहीं देते उनके विरुद्ध नियमानुसार मुकदमा सम्पदा अधिकारी की कोर्ट में दायर करें ।

यह निर्णय देवस्थान विभाग के तथा आत्मनिर्भर मन्दिरों के पुजारियों तथा चौकीदारों पर लागू नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार इन कर्मचारियों के लिये सम्बन्धित मन्दिरों में ही मुफ्त आवास सुविधा देने का अलग से निर्णय ले चुकी है ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1:- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय जयपुर को उनके अ0शा0 पत्र संख्या एफ42(1) यू0एस0ए0/73/8283 दिनांक 14.12.73 के क्रम में ।

2:- निदेशक, अभाव अभियोग मुख्य मन्त्री कार्यालय जयपुर को उनके पत्र संख्या 2712/मु0म0/नि0/भि0/82-73 दिनांक 13-2-73 के क्रम में ।

3:- सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर/जोधपुर/उदयपुर

अनुभाग अधिकारी

शुक्ला/29-7-74

1167/ 160

परिशिष्ट IV

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-४) विभाग,

क्रमांक प॰२१(८२)राज/१९७७ जयपुर दिनांक १९ [illegible], १९७७

आज्ञा

विषय :- राजस्थान के देवस्थान विभाग की सम्पदाओं का उचित किराया निर्धारण हेतु समिति का गठन ।

राज्य के देवस्थान विभाग के पास विभिन्न स्थानों पर बहुत सी सम्पदाओं स्थित है। जो साधारणतः आवासीय एवं वाणिज्य प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाती है। इनका किराया समय समय पर तय किया गया था परन्तु ऐसा अनुभव किया जाता है कि पूर्व में जो किराया निर्धारित किया गया था वह बहुत ही कम है।

उपरोक्त स्थिति में राज्य सरकार ने एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसके निम्न सदस्य होंगे :-

१- क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग	संयोजक
२- क्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता सा॰नि॰वि॰	सदस्य
३- क्षेत्रीय नगर दण्ड नायक तथा जहां नगर दण्डनायक का पद न हो तो वहां के उपखण्ड अधिकारी	सदस्य

उक्त समिति देवस्थान विभाग की किराये पर दी गई सभी सम्पदाओं का उचित किराया निर्धारण करेगी। आवासीय सम्पदाओं का किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित ~~के~~ मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा।

समिति गठित होने के दिनांक से दो माह की अवधि के अन्दर अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से
ह॰
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है-

१- समस्त जिलाधीश
२- आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
३- सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर, उदयपुर। जोधपुर
४- समस्त उपखण्ड अधिकारी
५- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

ह॰ अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-७) विभाग

निमित्त :-

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
उदयपुर।

क्रमांक : एफ २९(६७) राज/ग्रुप-४/७७ जयपुर, दिनांक २३-८-७८

विषय :- राजस्थान के देवस्थान विभाग की सम्पदाओं का उचित किराया निर्धारण हेतु समिति का गठन।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक १३-६-७८।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किराया, दिनांक १-७-७८ से वसूल किया जावेगा।

भवदीय

ह०

अनुभाग अधिकारी

162

118

परिशिष्ट V

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-1) विभाग

निमित:-

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः एफ 21(94)राज/गुप-1/79/ दिनांक 11.12.79

विषयः- गत 5 वर्षों में देवस्थान विभाग द्वारा जितनी भी सम्पत्तियां किराये पर दी गई, उनकी सूची मय सम्पत्ति का विवरण, किरायेदार का नाम, माहवारी किराये की दर आदि मंगवाई जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि देवस्थान विभाग द्वारा की कोई भी सम्पत्ति किराये पर राज्य सरकार की अनुमति के नहीं दी जावे। गत 5 वर्षों में देवस्थान विभाग द्वारा जितनी भी सम्पत्तियां किराये पर दी गई, उनकी सूची मय सम्पत्ति का विवरण एवं किरायेदार का नाम माहवारी किराये की दर शीघ्र भिजवावें, तथा यह भी बतावें कि किराया निर्धारित किस आधार पर किया जाता है, और कौन अधिकारी किस आदेश से किराया निर्धारित करता है।

भवदीय,

ह0/-
अनुभाग अधिकारी

163 32 119

परिशिष्ट VI

राजस्थान - सरकार
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक एफ 7(9)राज/ग्रुप-3/80 जयपुर, दिनांक 15.5.81

प्रेषित :-

आयुक्त,
देवस्थान विभाग, उदयपुर ।

विषय:- देवस्थान विभाग के प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरात की सम्पदाओं को किराये पर देने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि देवस्थान विभाग के प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरात की सम्पदाओं को रिक्त आवासीय भवनों को किराये पर देने के पूर्व निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जावे :-

1- जैसे ही भवन रिक्त होवे सर्व प्रथम भवन का कब्जा विभाग के सम्बन्धित निरीक्षक, द्वारा तुरन्त प्राप्त कर विभाग का ताला लगावें ।

2- रिक्त भवन पर "किराये पर देना है" का एक छोटा नोटिस लगाया जावें ।

3- रिक्त भवनों को किराये पर देने की एक विज्ञप्ति विभाग के संबंधित सहायक आयुक्त द्वारा जारी की जावे, जिसमें भवन में उपलब्ध कमरों एवं अन्य सुविधाओं का पूर्ण विवरण हो एवं एसेसमेन्ट के अनुसार उसके मासिक किराये का भी उल्लेख हो ।

4- भवन को किराये पर लेने वाले व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र, सहायक आयुक्त कार्यालय में एक पंजिका में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के क्रम में अंकित किये जावेंगे ।

5- भवन को किराये पर देने का प्रस्ताव सम्बन्धित सहायक आयुक्त, देवस्थान द्वारा आयुक्त, देवस्थान को मय प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ अपनी सिफारिश के साथ प्रस्तुत किया जावे, जिसमें प्रार्थी के व्यवसाय, मासिक आय तथा किराया भुगतान करने की हैसियत तथा पूर्ण पता अंकित करेंगे और यह भी स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि प्रार्थी के स्वयं के नाम अथवा परिवार के सदस्य के नाम कोई स्थाई आवासीय मकान तो नहीं है ?

6- आयुक्त, देवस्थान वि. द्वारा सहायक आयुक्त से प्राप्त पत्रादि का परीक्षण कर अपने प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करेंगे ।

7- प्रशासनिक विभाग द्वारा जिस मासिक किराये की दर व अन्य शर्तों पर जिस व्यक्ति को भवन आवंटित करने के आदेश प्रदान कर दिये जावेंगे, उक्त अनुसार भवन का कब्जा किरायेदार को देने पर लिखित में किरायानामा भी नियमानुसार लिखाया जावेगा व अग्रिम तीन माह की किराये की राशि किरायेदार को जमा करना होगा ।

8- किरायेदार को भवन का भौतिक कब्जा देते समय सम्बन्धित सहायक आयुक्त निरीक्षक/प्रबन्धक द्वारा भवन में उपलब्ध फिक्चर्स जैसे बिजली व पानी की फिटिंग, बिजली व पानी के मीटर, शटर मय दरवाजे व खिड़कियों पर लगे

किवाड़ों की संख्या खिड़कियों एवं अन्य स्थान पर यदि लोहे के सरिया आदि की संख्या का पूर्ण विवरण एक पत्र पर उल्लेख करें तथा उसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर किरायेदार से प्राप्त करेंगे ।

9- उपरोक्तानुसार किरायेदार द्वारा सभी शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का कब्जा उन्हें दिया जायेगा ।

अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों की पालना कृपया सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

ह0

उप शासन सचिव

165

परिशिष्ट VII

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-२) विभाग

क्रमांक एफ२१ (६२) राज।३।७७ जयपुर, दिनांक 4 DEC 1982

आज्ञा

देवस्थान विभाग में स्वामित्व, प्रबन्ध और नियंत्रण की विभिन्न स्थानों
पर स्थित सम्पदाओं के आवासीय एवं वाणिज्य प्रयोजनार्थ किराया पुर्ननिर्धारण
हेतु आज्ञा संख्या प०२१ (६२) राज।१।७७ दिनांक ११-१०-७७ के अन्तर्गत समितियां
गठित की गई थी । उक्त समिति द्वारा निर्धारित किराये को प्रभावशाली
रखते हुये उक्त आज्ञा के अन्तर्गत किराया निर्धारण समिति भंग की जाती है ।
उनके स्थान पर उपरोक्त प्रयोजनार्थ नवीन किराया निर्धारण समिति निम्नानुसार
गठित की जाती है:-

१- अतिरिक्त जिलाधीश और जहां अतिरिक्त जिलाधीश का पद न हो, क्षेत्रीय उप खण्ड अधिकारी — संयोजक
२- क्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग — सदस्य
३- क्षेत्रीय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग — सदस्य सचिव

उक्त समिति देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दी गई और किराये
पर दी जाने वाली सम्पदाओं, जिनका कि किराया पूर्व गठित समिति द्वारा
निर्धारित नहीं किया गया है, निर्धारित करेगी । -
आवासीय सम्पदाओं का किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा
निर्धारित मानदण्ड के अनुसार निश्चित किया जायेगा । रु० १००-०० तक
निर्धारित किराये की स्वीकृति स्वयं समिति देगी और उससे अधिक किराये की
स्वीकृति आयुक्त, देवस्थान विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जावेगी ।
समिति गठित होने से यथाशीघ्र किराया निर्धारण कर तिमाही प्रगति
प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी । समिति के सचिव समिति की बैठक
आयोजित कराने और बैठक में समिति को आवश्यक विवरण आदि प्रस्तुत करने
का प्रबन्ध करेंगे ।

जगदीश कुमार
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१- समस्त जिलाधीश, (१५ अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
२- आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
३- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
४- उपायुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर ।
५- समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग ।
६- राजकीय अधिवक्ता, जयपुर।जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ।
७- गार्ड फाईल । पत्रावलि …

जगदीश कुमार
उप शासन सचिव

127 166
173

परिशिष्ट XI

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
प्रशासनिक सुधार अनुभाग - ३

क्रमांक : प०६ (१६)प्रसु-३।९१ जयपुर, दिनांक 26 अप्रैल, १९९१

-: आज्ञा :-

विषय :- देवस्थान विभाग की सम्पदाओं के किराये सम्बन्धी प्रकरणों के निपटारा हेतु नीति - निर्धारण करने के लिये समिति का गठन किये जाने बाबत ।

देवस्थान विभाग की सम्पदाओं के किराये सम्बन्धी प्रकरणों के निपटारे हेतु नीति निर्धारण के लिये रिपोर्ट तैयार करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक अस्थाई समिति का गठन तुरन्त प्रभाव से किये जानें की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

१- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व विभाग	अध्यक्ष
२- सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
३- शासन विशिष्ठ सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
४- संयुक्त विधि परामर्शी। प्रथम।	सदस्य
५- आयुक्त, देवस्थान विभाग	सदस्य -सचिव

उक्त समिति का कार्यकाल एक माह का होगा । समिति किराया संघ के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर उनसे सुझाव प्राप्त कर विचार कर सकेगी ।

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सुझावों सहित राज्य सरकार को एक माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत की जावेगी ।

समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व (ग्रुप-७) विभाग होगा ।

आज्ञा से,

(ए० य० चेलानी)
शासन उप-सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : -

१- सचिव, राज्यपाल।मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
२- समस्त सदस्य (राजस्व ग्रुप-७ विभाग के माध्यम से) ।
३- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
४- आयुक्त, एवं सचिव, राजस्व विभाग ।
५- शासन उप सचिव, देवस्थान वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग ।
६- सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
७- आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ।
८- शासन विशिष्ठ सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
९- संयुक्त विधि परामर्शी। प्रथम। विधि विभाग ।
१०- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

- शेष पृष्ठ २ पर

AS (Rev)

167

राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक: प॰ 21 (92) राज/1/77 जयपुर, दिनांक : 2-4-93

:: आदेश ::

विषय:- देवस्थान विभाग की सम्पदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निपटारे हेतु नीति निर्धारण के संबंध में ।

---x---

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा सं॰ प॰ 6 (10) प्र॰सु॰/3/91 दिनांक 26॰4॰91 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा देवस्थान विभाग की सम्पदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निपटारे हेतु नीति निर्धारण के लिये गठित समिति की सिफारिशों के प्रशासनिक विभाग द्वारा परीक्षण एवं महामहिम राज्यपाल की सलाहकार परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् नवीन किराया नीति एतद् द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

1॰ दिनांक 7॰12॰82 से किराया का पुर्ननिर्धारण किया जाकर नयी दर से किराया वसूल किया जावे जिसके तहत जिन किरायेदारों ने दिनांक 7॰12॰82 से अथवा नव निर्धारण किराये के निर्धारण की दिनांक के पूर्व से संशोधित दर से किराया देना प्रारम्भ कर दिया है उन्हें छोड़ते हुए जिस सम्पदा का जिस तिथि से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प॰ 21 (92) राज/3/77 दिनांक 7॰12॰82 की अनुपालना में किराया संशोधित किया गया है उस तिथि से वहीं किराया देय होगा । नव निर्धारित किराये के लिये संबंधित किरायेदार से किरायानामा लिखवाया जावे । किरायानामा तहरीर न करने की दशा में किरायेदारी समाप्त करने की कार्यवाही की जावे तथा आवश्यक होने पर राजस्थान भू गृहादि अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली अधिनियम 1964 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे । किराया निर्धारण करने की कार्यवाही एक निश्चित समयावधि में पूर्ण कर दी जावे । नये किरायेदारी के मामलों में किराया निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर तथा किरायानामा लिखाने और 3 माह का किराया जमा कराने के बाद ही सम्पदा का कब्जा किरायेदार को दिया जावे और कब्जा देने व लेने की कार्यवाही पत्रावली पर रिकार्ड में रखी जावे ।

2॰ आवासीय सम्पदा के किराया निर्धारण हेतु आवासीय संपदाओं/भवनों के किराया का निर्धारण धर्म/सम्प्रदाय के नियमों का पालन करते हुए जरूरतमंद व गरीब तबके के लोगों का ध्यान रखते हुए तथा व्यावसायिक और आवासीय सम्पदाओं का अन्तर कायम रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के मानदण्डों के अनुसार निर्धारण किया जावे । प्रशासनिक विभाग स्थान विशेष के आधार पर विचार कर अपनी सहमति प्रदान करेगा।

क्रमश॰ ॰॰2॰॰॰

3. राजस्थान से बाहर स्थित सम्पदाओं के नवीन किराया निर्धारण हेतु एक समिति गठित की जावे जिसमें निम्न सदस्य रखे जायें :

1. देवस्थान विभाग द्वारा नियुक्त संबंधित प्रशासक /जिस स्थान पर प्रशासक नियुक्त नहीं है वहां के लिये उपायुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर ।
2. सहायक अभियन्ता, देवस्थान विभाग, जयपुर ।
3. संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग ।
4. संबंधित निरीक्षक, देवस्थान विभाग ।

सभी स्थानों की सम्पदायें किराये पर देने की स्वीकृति वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार द्वारा ही प्रदान की जावेगी । तथा किरायें में वृद्धि प्रति तीन वर्ष बाद आरक्षित दर की 15% की दर से की जावेगी । सम्पदाओं की मरम्मत/पुर्निमाण/पुनरोद्धार कार्यों के लिये आवश्यक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा ही प्रदान की जा सकेगी ।

4. राजकीय कार्यालयों के लिये सम्पदा किराये पर देने संबंधी मामलों एवं उनमें बकाया किराया वसूली के संबंध में विचार मंदिरों के साथ कई विशाल भवन बने हुए हैं । इन भवनों में से कई भवनों में वर्तमान में विद्यालय व केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालय चल रहे हैं के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :

(अ) राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार तथा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं को विभाग की निम्न सम्पदायें राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराये पर दिया जाना चाहिये । किराये की दर निश्चित करने में विभाग के उद्देश्य का ध्यान रखा जावे । साथ ही इन विभागों के लिये भी किराया अवधि तीन वर्ष ही होनी चाहिये और प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति पर किराया दर में 15% की स्वतः बढ़ोतरी के लिये शर्त किरायेनामें में जोड़ देनी चाहिये ।

(ब) विभाग की जो सम्पदायें वर्तमान में राज्य सरकार अथवा अन्य विभागों को किराये पर दी हुई है किन्तु स्वामित्व आदि के संबंध में आपस में विवाद चल रहे हैं, ऐसे प्रकरणों को सुलझाने हेतु एक समिति निम्नानुसार गठित की जावे । इसमें स्वामित्व संबंधी अधिकार सिद्ध करने का दायित्व किरायेदार का होगा :

1. विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व एवं देवस्थान	अध्यक्ष
2. आयुक्त, देवस्थान विभाग	सदस्य सचिव
3. संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य
4. संबंधित विभाग के शासन सचिव का प्रतिनिधि	सदस्य

5. सम्पदा किराये पर देने संबंधी अधिकार- देवस्थान विभाग की समस्त आवासीय सम्पदाओं को किराये पर देने संबंधी प्रकरणों में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार सहायक आयुक्त/आयुक्त, देवस्थान से प्राप्त प्रस्ताव/टिप्पणी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर आवश्यक स्वीकृति जारी करने पर सम्पदा किराये पर दी जा

क्रमशः...3...

~~564~~
168

11-3-11

जा सकेगी । व्यावसायिक किरायेदारी प्रकरणों में नीलामी द्वारा उच्चतम बोलीदाता के नाम का आयुक्त द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जावेगा तथा प्रकरण को जांचने के उपरान्त आवश्यक स्वीकृति अधिक से अधिक एक माह की अवधि में प्रदान की जावे । इसमें आयुक्त, देवस्थान ऐसी व्यवस्था करें जिससे बोलीदार को सम्पदा का कब्जा एक माह में मिल सके । ऐसा नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निश्चित की जावे ।

6. गैर आवासीय एवं गैर व्यावसायिक सम्पदाओं को चिकित्सालय, पुण्यार्थ कार्य, विकलांग, विधवाओं, शैक्षणित संस्थाएं आदि को जो भवन किराये पर दिये जाने हैं उसके लिये किराये का निर्धारण यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही किया जावे कि धार्मिक पुण्यार्थ (चेरिटी) संस्था नियमानुसार पंजीकृत है । ऐसी संस्थाओं को सम्पदा सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों पर किराया निर्धारण कर किराये पर आवंटित की जावे । किरायानामें की शर्तों का उल्लंघन होने पर संस्थान की किरायेदारी राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी जावे तथा यदि आवश्यक हो तो सम्पदा अधिकारी द्वारा राजस्थान भू गृहादि अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जावे ।

7. देवस्थान विभाग के कर्मचारियों जैसे पुजारी एवं चौकीदार जिन मंदिरों में पदस्थापित हैं और वहां पर स्थान उपलब्ध है तो उन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जावेगी जिसके लिये उन्हें कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा । सम्पदा का सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर से उन कर्मचारियों के वेतन से किराया काटा जायेगा । संबंधित कर्मचारी को एक अनुबन्ध पत्र इस आशय का लिख कर देना होगा कि उसके स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत्ति पर निःशुल्क आवंटित आवासीय स्थान खाली कर कब्जा संभला देगा अन्यथा वह स्थान स्वतः ही रिक्त समझा जावे ।

8. मूल किरायेदार की मृत्यु होजाने पर यदि सम्पदा पर उसके मूल वारिसान का कब्जा है अथवा साझेदारी में मूल किरायेदार की मृत्यु अथवा साझेदारी समाप्ति के उपरान्त यदि साझेदार का कब्जा है तथा प्रमाणों से जैसे इन्कम टैक्स, सैल्स टैक्स एवं मैन्यूफैक्चरस दस्तावेज, साझेदारी डीड के आधार पर अपनी हिस्सेदारी सिद्ध करता है तब गुणावगुण तथा विभागीय हित के आधार पर राज्य सरकार की आवश्यक स्वीकृति के उपरान्त कब्जेदार के नाम किरायेदारी नये सिरे से नियमित की जा सकेगी । उक्त मामले में व्यावसायिक सम्पदाओं में वर्तमान में किरायेदार का उत्तराधिकारी व साझेदार से क्रमशः दो एवं तीन गुणा वृद्धि कर जमा कराने पर ही की जा सकेगी ।

9. उप किरायेदारी एवं अतिक्रमणों की बेदखली एवं इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के संबंध में- विभाग के ध्यान में अनेक ऐसे मामले आये है जिसमें किरायेदारों द्वारा बिना राज्य सरकार की अनुमति के सम्पदाओं को सबलेट कर दिया जाता है तथा अनेक ऐसे मामले भी ध्यान में आये हैं जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा देवस्थान की सम्पदाओं पर अतिक्रमण कर

क्रमशः...4...

लिया है । ऐसे मामलों के संबंध में देवस्थान विभाग द्वारा बेदखली की कार्यवाही की जावे । यदि विभाग द्वारा जारी नोटिस के आधार पर सम्पदा विभाग को नहीं संभलायी जाती है तो सक्षम न्यायालय (संपदा अधिकारी) में त्वरित गति से कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये । इस संबंध में सम्पदा अधिकारी द्वारा सरसरी तौर से जांच के बाद अपना निर्णय यथा शीघ्र देकर उसकी शीघ्र क्रियान्वित करावें । संपदा अधिकारी को ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी जिसमें प्रकरण का अधिकतम तौर पर 90 दिवस (तीन महीने) में निर्णय लिया जा सके । इस संबंध में उप किरायेदारी/ अतिक्रमणों के संबंध में प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के लिये जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिये ।

10. सम्पदा का उपयोग (प्रयोजन) परिवर्तन विषय पर नीति-- कुछ किरायेदारों ने सम्पदायें आवासीय प्रयोजनार्थ किराये पर ली थी किन्तु वर्तमान में उसे व्यावसायिक प्रयोजनार्थ काम में ले रहे हैं, ऐसी सम्पदाओं को चालू किराये की दर से चार गुणा वृद्धि की शर्त पर किरायानामा तहरीर करने की शर्त पर राज्य सरकार द्वारा प्रयोजन बदलने की स्वीकृति दी जा सकेगी । इसके अनुसार किराया नहीं देने अथवा किरायानामा नहीं लिखने पर नियमानुसार किरायेदारी समाप्त की जाकर राजस्थान भू-गृहादि अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली अधिनियम, 1964 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे ।

11. इस विभाग की सम्पदाओं को दूसरे विभाग सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी विभागों के माफ्त किन्हीं संस्थाओं/ व्यक्तियों अथवा फर्मों को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दी जानी है यथा उद्योग, खनन कार्य, वृक्षारोपण पौधशाला आदि जिनके लिये देवस्थान विभाग द्वारा केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना होता है ऐसे प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना किसी निविदा प्रक्रिया के मामले के गुणदोष एवं विभागीय अथवा राज्य सरकार के हित के आधार पर प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जा सकेगी ।

12. देवस्थानविभाग की जीर्ण-शीर्ण अथवा रिक्त भूमि जिन पर अतिक्रमण अवैध निर्माण तथा मर्यादा भंग होने की लगातार संभावना बनी रहती है ऐसी सम्पदाओं या भूमियों पर यदि किन्हीं सेवाभावी अथवा आस्थावान व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा निर्माण कराकर देवस्थान विभाग को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों संस्थाओं को उनके चाहने पर बिना किसी निविदा प्रक्रिया के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मानदण्ड अनुसार किराये पर दी जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति गुणदोष के आधार पर प्रदान की जावेगी ।

उक्त नीति तुरन्त प्रभाव से लागू मानी जावेगी ।

(आर॰ एस॰ कूमट)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमश॰॰॰5॰॰

366

169

11-5-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. उप शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार (एम), राज्यपाल ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग ।
4. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ।
5. उपायुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर ।
6. समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग ।
7. निजी सहायक, विशिष्ठ शासन सचिव, देवस्थान विभाग ।
8. मंत्री मण्डल सचिवालय ।
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

शासन उप सचिव

सैनी*

170
69 — 133

परिशिष्ट - XII

अर्द्ध शासकीय पत्र

एफ3(5)(संपदा/देव/87 | 6383

उदयपुर, दिनांक :- 10.3.93

विषयः- देवस्थान विभाग की संपदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निपटारे हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

आदरणीय

देवस्थान विभाग की संपदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निपटारे हेतु नीति निर्धारण के संबंध में आदेश क्रमांक प.2(92)राज/1/77 दिनांक 2.4.93 में संशोधन संलग्न है। मूल आदेश से हटाये जाने वाले प्रावधान बैंगनी रंग से दर्शाये गये हैं तथा जोड़े गये प्रावधान पीले रंग से रेखांकित किये गये हैं।

मूल आदेश के बिन्दु संख्या 8 एवं 10 का समायोजन बिन्दु संख्या के प्रस्तावित अंश में कर लिया गया है। अतः उन्हें पूर्णतया समाप्त किया जाना प्रासंगिक है।

श्रीमान् के निर्देशानुसार सुझाव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(डा० राजबहादुर सिंह)

श्रीमान पी.एन. भण्डारी,
शासन सचिव,
राजस्व (देवस्थान) विभाग,
राज. जयपुर

134 171
परिशिष्ट 5III

राजस्थान सरकार
देवस्थान, [illegible] कल्याण विभाग

क्रमांक:प०7(17)देव/94 जयपुर, दिनांक 6/5/94

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
उदयपुर।

विषय:- लम्बित एवं विवादित किरायेदारी प्रकरणों के निपटारे हेतु अभियान संचालित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि देवस्थान विभाग से सम्बन्धित लम्बित एवं विवादित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे हेतु एक अभियान संचालित किया जायेगा। जिसमें निम्नानुसार एक समिति गठित की जाती है:-

1. सम्बन्धित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग
2. सम्बन्धित जिलाधीश का प्रतिनिधि (सहायक जिलाधीश अथवा राजस्व अधिकारी)
3. विभागीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
4. स्थानीय सम्बन्धित विधायक

अभियान की कार्य प्रणाली निम्नानुसार होगी:-

उक्त समिति सभी लम्बित एवं विवादित किरायेदारी प्रकरणों पर किरायेदारी नीति (आदेश क्रमांक प.21(92)राज/7/77 दिनांक 2-4-93 के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित किरायेदारों से वार्ता कर समझौता किये जाने हेतु अपनी सिफारिश आयुक्त देवस्थान को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करेगी।

आयुक्त देवस्थान समिति द्वारा प्रस्तुत सभी सिफारिशों [illegible] प्रेषित करेंगे।

भवदीय,

[illegible]
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, देवस्थान मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

शासन सचिव [illegible]

667/9.5.94

74/9.5.94

बैठक का कार्यवाही विवरण

देवस्थान विभाग के मामलो पर विचार विमर्श करने हेतु एक बैठक का आयोजन दिनांक 12-12-96 को प्रात: 11•00 बजे देवस्थान मंत्री महोदय के सचिवालय स्थित कक्ष में किया गया जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1- श्री आई•सी•श्रीवास्तव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व
2- श्री डी•एन•थानवी• देवस्थान आयुक्त, उदयपुर ।
3- श्री जी०एल० शर्मा, उप शासन सचिव, देवस्थान विभाग•।
4- श्री एच०आर० भारद्वाज, उपायुक्त, देवस्थान विभाग,जयपुर ।

विचार विमर्श के बाद निम्नांकित विषयों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1- होटल देवदर्शन, उदयपुर को लीज पर देने के बारे में :-

आयुक्त, देवस्थान को सूचित किया गया कि उनके प्रस्तावानुसार उक्त होटल को लीज पर दिये जाने की शर्तों से राज्य सरकार सहमत है । लीज पर देने के लिए रिजर्व प्राईज 1•27 लाख रुपये प्रति माह को निर्धारित को जाकर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर टेन्डर शीघ्र आमंत्रित किये जावें ।

2- विभागीय खनन नीति :-

मंत्री महोदय को सूचित किया गया कि विभागीय खनन नीति के अनुमोदन हेतु मंत्री मण्डल ज्ञापन दिनांक 27-11-96 को मंत्री मण्डल सचिवालय को प्रेषित किया गया है अत: मंत्रिमण्डल के निर्णय की प्रतीक्षा करना उचित होगा ।

3- श्री जगदीश मंदिर का जीर्णोद्धार:-

मंत्री महोदय को सूचित किया गया कि आवास विकास संस्थान द्वारा दिये गये अनुमान के अनुसार उक्त जीर्णोद्धार पर 52•00 लाख रुपये का खर्च अनुमानित था तथा आयुक्त, देवस्थान के अनुसार आवास विकास संस्थान ने 13•25 लाख रुपये का कार्य कराया है जबकि उनके सहायक अभियन्ता के अनुसार 12•40 लाख रुपये का कार्यप्रमाणित पाया गया तथा कार्य पुन: प्रारम्भ करने के लिए आवास विकास संस्थान

----- 2

810

को उन्होने दिनांक 12-4-96 को ही पुन: निर्देश दे दिये थे ।
मंत्री महोदय ने जीर्णोद्धार कार्य की धीमी गति पर असन्तोष जाहिर करते हुए उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने पर जोर दिया ।

4- बांरा के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार :-

मंत्री महोदय को सूचित किया गया कि उक्त कार्य हेतु सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्फत एस्टीमेट प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार 11.65 लाख रूपये की लागत अनुमानित है । चूँकि देवस्थान विभाग में अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियो का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति पर नही हो पाया है । अत: यह निर्णय लिया गया कि विभाग के मार्फत मंदिरो के जीर्णोद्धार के लिए जो 25.00 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है उसमें से 11.65 लाख रूपये की राशि आयुक्त, देवस्थान द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांरा को उपलब्ध कराकर उक्त कार्य पूर्ण करा लिया जाये :

इसी प्रकार यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त 25.00 लाख की राशि में से 5.00 लाख रूपये की राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को मंदिर श्री मदन मोहन जी, सिरहड्योढी बाजार, जयपुर की मरम्मत हेतु उपलब्ध करा दिये जावे । तकमीने के अनुसार उक्त मरम्मत पर 7.50 लाख रूपये का खर्चा अनुमानित है और सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्व में 2.50 लाख रूपये की राशि देवस्थान विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में जमा करायी हुई है ।

5- आवास विकास संस्थान का प्रगति प्रतिवेदन :-

आयुक्त, देवस्थान ने सूचित किया कि उनके द्वारा पूर्व में 6 मंदिरो के जीर्णोद्धार हेतु 50 लाख रूपये की राशि निधि बजट से अग्रिम दी गयी थी जिसके खिलाफ आवास विकास संस्थान ने 52.60 लाख रूपये का बिल प्रस्तुत किया है, भौतिक सत्यापन करने पर वास्तविक व्यय 50.20 लाख रूपये का ही पाया गया है । उपरोक्त राशि में प्रशासनिक खर्चे, प्रोजेक्ट तैयार करने का खर्चा और सलाहकार समिति पर किया गया खर्चे की राशि शामिल नही की गयी है जबकि कुल बिल 61.75 लाख रूपये का आवास विकास संस्थान का प्राप्त हुआ है ।

-- 3

319
173

6- दादाबाड़ी-ऋषभदेव में निर्माण :-

दादाबाड़ी ऋषभदेव में भवन निर्माण की स्वीकृति के बारे में चर्चा की गई । आयुक्त, देवस्थान विभाग ने बताया कि पूर्व में वर्ष 1991 में भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी किन्तु उस समय तक प्रस्तावित क्षेत्र दादाबाड़ी को सुपुर्द नहीं किया गया था । विभाग के द्वारा वर्ष 1993 में इसे सुपुर्द कर दिया गया है । बाद सुपुर्दगी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर दिगम्बर जैन समाज के द्वारा निर्माण कार्य पर आपत्ति की गयी थी, अब निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जा सकती है । किन्तु चूँकि निर्माण कार्य में 5.00 लाख रूपये से अधिक की राशि व्यय होने की सम्भावना है अत: राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है । बाद विचार विमर्श निर्णय किया गया कि आयुक्त, देवस्थान अपने स्तर पर निर्माण की स्वीकृति देकर कार्य करवाने की अनुमति दे दें । यदि कार्य 5.00 लाख रूपये से अधिक का हुआ तो राज्य सरकार उसकी पुष्टि कर देगी ।

ऋषभदेव मंदिर में मरम्मत का कार्य विशेष तकनीक का है जिसे इस कार्य में परम्परागत रूप से दक्ष सोमपुरिया परिवारों से कार्य करवाने की आवश्यकता प्रमुख शासन सचिव महोदय ने प्रतिपादित की । अत: निर्णय लिया गया कि सोमपुरिया परिवारों से दैनिक वेतन पर कार्य करवा लिया जाये, अन्य निर्माण कार्य दूसरे चरण में लिया जा सकता है ।

7- सम्पदा निस्तारण के मामले :-

सम्पदाओं के निष्पादन के संबंध में बाद विचार विमर्श यह तय किया गया कि विभाग की भूमि पर पर्यटन विकास निगम यदि कोई होटल, विश्राम गृह या अन्य भवन बनवाना चाहता है तो उनसे इस संबंध में योजना प्राप्त की जावें एवं तदुपरान्त उस पर निर्णय किया जाये।

8- परशुराम द्वारा को आवास विकास संस्थान के द्वारा पुनरुद्धार करने के संबंध में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त, देवस्थान ने बताया कि प्रस्तावित स्थल विभाग के द्वारा किसको सौपना है एवं किन शर्तों पर सौंपना है इस बारे में अभी कोई निर्णय नही हुआ है । हस्तान्तरित स्थल का स्वामित्व किसका होगा एवं विभाग पर उसका क्या नियन्त्रण होगा, आदि के बारे में प्रावधान किया जाना जरूरी है । प्रमुख शासन

320.

Rajesh "Devasthan"

सचिव ने इस प्रश्न से सहमति जताते हुए उपायुक्त, देवस्थान को निर्देशित किया कि वह प्रकरण की पूरी जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट पेश करें ।

9- प्रदेश के बाहर अवस्थित विभाग की सम्पदाओं का सर्वेक्षण:-

मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 251/92 दिनांक 15-11-92 के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करते समय उपायुक्त, देवस्थान ने बताया कि कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट जून, 96 में प्राप्त हुई है जिसमें कुल 41 सम्पदाओं में से 6 सम्पदाओं की ही रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, 35 सम्पदाओं की रिपोर्ट अभी पेश की जानी है । उपायुक्त ने उक्त रिपोर्ट फरवरी, 97 तक पेश करने के कार्यक्रम के बारे में स्वीकृति चाही है । बाद विचार विमर्श कार्य को तत्काल पूरा करने के निर्देश के साथ 2/97 तक रिपोर्ट पेश करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

10- देवस्थान विभाग की सम्पदाओं की किरायेदारी :-

इस विषय पर चर्चा करते हुए इस बात पर गहरा असन्तोष प्रकट किया गया है कि राज्य की बहुत बड़ी राशि किरायेदारी में उलझी हुई है तथा उप किरायेदारी के प्रकरणों को उलझाया हुआ है । मंत्री महोदय ने निर्देशित किया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्तमान दर के आधार पर किरायों का पूर्ण निर्धारण कर किराया वसूल किया जावें । यदि कोई किरायेदार इस शर्त पर सहमत नहीं हो तो उसके नाम पर चल रही किरायेदारी को समाप्त किया जाकर न्यायालय सम्पदा अधिकारी के समक्ष बेदखली हेतु वादें प्रस्तुत किये जाये ।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 1993 से पूर्व की उप किरायेदारी के नियमन के प्रस्ताव ही राज्य सरकार को भेजे जावें, उसके बाद के नहीं ।

अन्य विषय :-

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नांकित अन्य विषयों पर चर्चा की जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1- श्री गिरधारी तिवारी, सदस्य, नगर परिषद भरतपुर ने मंदिर श्री कैला देवी झीलका वाड़ा पर व्यवस्था में सुधार तथा सौन्दर्यकरण बाबत जो प्रार्थना पत्र दिया था उसके बाबत मंत्री महोदय को

----- 5

3-27
174

सूचित किया गया कि 1.42 लाख रूपये की राशि उक्त कार्य हेतु दिनांक 25-3-95 को स्वीकृत की गयी थी । देवस्थान आयुक्त ने बताया कि उक्त कार्य विभागीय सूचना अनुसार पूर्ण किया जा चुका है । अतः देवस्थान आयुक्त को किये गये कार्य के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

2- श्री नृसिंह मंदिर ट्रस्ट कमेटी, जयपुर के संबंध में मंत्री महोदय को सूचित किया गया कि संबंधित न्यायालय ने पक्षकारों को सुने बिना मैनेजमेन्ट कमेटी आदि के गठन किये जाने पर रोक लगायी है अतः पक्षकारों की सुनवाई उनके स्तर पर किया जाना उचित होगा ।

3- विद्या निकेतन प्राथमिक विद्यालय, झाडोल की भूमि आवंटन संबंधी प्रार्थना-पत्र राजस्व(ग्रुप-3) विभाग से संबंधित होने के कारण उस ग्रुप को भिजवा दिया है । मंत्री महोदय ने बताया कि प्रार्थीगणों के अनुसार वांछित भूमि देवस्थान विभाग की है अतः इस बिन्दु पर भी वे जांच करने हेतु देवस्थान आयुक्त को निर्देशित किया गया ।

4- भारतीय जनता पार्टी मण्डल, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ की सर्व देवायतन मंदिर सर्वोदय साधना संघ को देवस्थान विभाग द्वारा अधिग्रहण किये जाने के प्रार्थना पत्र के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी भिजवाने हेतु आयुक्त, देवस्थान को लिखा गया है, उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर सूचना प्रस्तुत की जा सकेगी ।

5- ग्रामवासी मरमी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त ग्राम में कुण्डोया महादेव की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्र देवस्थान आयुक्त को प्रेषित किया गया है तथा उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन माननीय मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

6- श्री नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के द्वारा पोलियो हास्पिटल के बारे में मांगी गयी आर्थिक सहायता के संबंध में मंत्री महोदय को सूचित किया गया कि उक्त संस्थान के प्रार्थना पत्र की प्रतियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाथद्वारा मंदिर मण्डल एवं सांवलिया मंदिर मंडल, चित्तौड़गढ़ को समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है साथ ही एक प्रति आयुक्त, देवस्थान विभाग को भी प्रेषित की गयी है ।

----- 6

7- श्री केसरिया जी में स्थित धर्मशाला की दशा के बारे में चर्चा करते हुए मंत्री महोदय ने निर्देशित किया कि वहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण कराया जावे तथा जिन कमरों में लेटरिन, बाथरूम अटैच नहीं है ऐसे 5 कमरों में लेटरिन, बाथरूम अटैच करवायी जावें तथा यात्रियों से वर्तमान में वसूल किये जाने वाला किराया प्रति दिन एक रुपये के स्थान पर 5/- रुपया प्रतिदिन कर दिया जावे। मंदिर में स्नानघर ठीक करवाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्री महोदय ने यात्रियों को किराये पर बिस्तर दिये जाने की प्रक्रिया पर भी असन्तोष जाहिर किया। निर्णय लिया गया कि यात्रियों को बिस्तर उपलब्ध करवाने के लिए ठेका करवा दिया जाये इससे मंदिर को आय भी प्राप्त होगी एवं यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी।

8- इसी दौरान सेक्टर नम्बर 4 हिरण मगरी, उदयपुर में मनवाखेड़ा के पास जगदीश मंदिर की भूमि का किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा अवैध बेचान के संबंध में जिला कलेक्टर, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने का निर्णय लिया गया।

9- उदयपुर में संस्कृत कालेज के लिए बागोर के सामने बगीचा की भूमि में देवस्थान आरक्षित कर लिया जावे तथा वर्तमान कालेज भवन के स्थान पर होटल आदि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग की सम्भावना तलाश की जावे। अन्तिम निर्णय हेतु मीटिंग उदयपुर में बुलाई जाये।

तत्पश्चात बैठक विसर्जित की गयी।

--

राजस्थान सरकार
देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक:प. 12(1)(देव/96

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- विशिष्ठ सहायक, माननीय देवस्थान मंत्री जी।
2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व(देवस्थान) विभाग।
3- आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
4- उपायुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर।
5- संबंधित पत्रावलीयां

उप शासन सचिव

विभागीय किराया नीति

राजस्थान सरकार
देवस्थान वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांकः प.7(32)देव/98 जयपुर दिनांक 6.6.2000

आदेश

विषयः— देवस्थान विभाग की संपदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निपटारे हेतु नीति निर्धारण के संबंध में ।

—

इस विभाग द्वारा आदेश संख्या प.21(92)राज–1/77 दिनांक 2.4.93 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराया सम्पतियों की स्थिति, क्षेत्र तथा उपलब्ध अन्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया है। इस किराये से पुराने किराये की तुलना करने पर स्पष्ट है कि किराये में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः प्रकरण पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है। वर्तमान किराया नीति दिनांक 2.4.1993 के स्थान पर निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :–

क– व्यावसायिक सम्पतियों के लिये –

इन सम्पतियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिंग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार व्यवसायिक संपदाओं के लिये निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा। साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त द्वारा निर्धारित किराये का 60 गुना एक मुश्त एक बार में लिया जाकर वास्तविक कब्जाधारी के हक में नियमन किया जावेगा। उपकिरायेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त द्वारा निर्धारित किराये का 120 गुना एक मुश्त एक बार में लिया जायेगा तथा उपकिरायेदार के हक में नियमन किया जा सकेगा। नियमन के बाद साझेदार/उपकिरायेदार द्वारा नये दर से किराया देय होगा।

ख– आवासीय सम्पतियों के लिये –

इन सम्पतियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार आवासीय संपदाओं के लिये निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा। सम्पदाओं का प्रयोजन परिवर्तन पूर्णतया निषेध होगा। प्रयोजन परिवर्तन पाये जाने पर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त निर्धारित किराये का 60 गुना एक मुश्त एक बार में लिया जावेगा। साझेदार को नियमन के बाद नये दर से किराया देय होगा।

ग– राज्य/केन्द्र सरकार तथा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं एवं जनहित में कार्यरत संस्थाओं को किराये पर दी जाने वाली संपदा –

संपदाओं के प्रयोजन अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार निर्धारित किराया देय होगा ।

घ– किराये में वृद्धि –

संपदाओं के किराये में प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के बाद 15 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रावधान रखा जाये ।

नव निर्धारित किराया 1.4.2000 से देय होगा तथा किरायेदारों पर पिछले वर्ष का बकाया किराया दो समान किश्तों में 30.6.2000 तक वसूलनीय होगा । पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिग आर्डर वर्ष 1995 के अनुसार निर्धारित किरायेदारों द्वारा किया गया भुगतान समायोजन किया जायेगा ।

देवस्थान विभाग के मंदिरों में पदस्थापित चौकीदार तथा पुजारियों के लिये यदि आवासीय स्थान उपलब्ध है तो उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किराया मानदण्डों के अनुसार किराये पर दिया जा सकेगा ।

राज्य से बाहर स्थित सम्पदाओं का नवीन किराया निर्धारण उस क्षेत्र के लिये लागू सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर. के मानदण्डानुसार निर्धारित किया जाकर उपरोक्तानुसार वसूलनीय होगा ।

देवस्थान विभाग की जीर्ण–शीर्ण अथवा रिक्त भूमि जिन पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण होने की लगातार संभावना बनी रहती है ऐसी संपदाओं या भूमियों पर यदि किन्ही सेवाभावी अथवा आस्थावान व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा निर्माण कराकर देवस्थान विभाग को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं को उनके चाहने पर प्रश्नगत संपदा बिना किसी निविदा प्रक्रिया के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मानदण्डों के अनुसार किराये पर दी जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति गुण–दोष के आधार पर प्रदान की जाएगी।

भविष्य में विभागीय संपदा जैसे भूमि,भवन आदि को राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त खुली निलामी द्वारा ही किराये पर दिया जा सकेगा। देवस्थान विभाग इस नीति के अनुसार सभी वर्तमान किरायेदारों को किराया वृद्धि के बारे में सूचित करेगा एवं आपत्तियों उठाने के लिये अवसर देगा।

आपत्तियों पर सुनवाई के बाद नया किराया निर्धारण किया जायेगा तथा नये अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

यह नीति तुरन्त प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

आज्ञा से,
ह.
(प्रहलाद शर्मा)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
देवस्थान वक्फ एंव सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांकः प.7(32)देव/98 जयपुर दिनांक 28.8.2001

आदेश

विषय :– देवस्थान विभाग की संपदाओं की किराया नीति दिनांक 6.6.2000 के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6.6.2000 द्वारा देवस्थान विभाग की संपदाओं को किराये पर देने के संबंध में किराया नीति जारी की गयी है। किराया नीति दिनांक 6.6.2000 के बिन्दु –ख– शीर्षक "आवासीय सम्पदाओं के लिये" में निम्न लिखित उप किरायेदारों का प्रावधान जोड़ा जाता है ।

"उप किरायेदारी के प्रकरणों में नियमन" शुल्क निर्धारित किराये का 120 गुणा एक मुश्त एक बार में लिया जायेगा तथा उप किरायेदार के हक में किरायेदारी का नियमन किया जा सकेगा । "

आज्ञा से,
ह0/–
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांकः प.7(32)देव/98 जयपुर दिनांक 26.9.05

1. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ।
2. समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग ।

विषयः— देवस्थान विभाग की संपदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निपटारे हेतु नीति निर्धारण के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6.6.2000 से जारी नीति निर्धारण के बिन्दु (क) व्यवसायिक संपत्तियों के लिये एवं बिन्दु (ख) आवासीय सम्पतियों के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि साझेदारी एवं उप किरायदेारी के प्रकरणों में लिये जाने वाला नियमन शुल्क, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेण्डिग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार किराये का 30 प्रतिशत दर से देय किराया राशि से लिया जावे ।

भवदीय
ह0/—
उप शासन सचिव

177

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांकः प.7(32)देव/98/पार्ट जयपुर दिनांक 30.7.08

: आदेश :

विषय :– देवस्थान विभाग की संपदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित किराया नीति में संशोधन।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6.6.2000 एवं समय–समय पर यथा संशोधित आदेशों के द्वारा देवस्थान विभाग की संपदाओं के लिए निर्धारित किराया नीति में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:–

1. किराया नीति आदेश दिनांक 6.6.2000 के शीर्षक" क– व्यावसायिक संपत्तियों के लिए" के नीचे विद्यमान संपूर्ण प्रावधान को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

क. व्यवसायिक सम्पत्तियों के लिये:–

(i) व्यावसायिक सम्पत्तियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेडिंग ऑर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार व्यावसायिक सम्पदाओं के लिये निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा।

(ii) साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क क(i) के अनुसार देय किराये का 60 गुना एक मुश्त एक बार में लिया जाकर वास्तविक कब्जाधारी के हक में नियमन किया जायेगा।

(iii) उप किरायेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क क(i)के अनुसार देय किराये का 120 गुना एक मुश्त एक बार में लिया जायेगा तथा उप किरायेदार के हक में नियमन किया जा सकेगा ।

(iv) नियमन के बाद साझेदार/उप किरायेदार द्वारा नई दर से किराया देय होगा।

2. उक्त किराया नीति के शीर्षक "ख–आवासीय सम्पत्तियों के लिए" के विद्यमान प्रावधान को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात्

ख. आवासीय सम्पत्तियों के लिये :–

(i) आवासीय सम्पपत्तियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेडिंग ऑर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार आवासीय सम्पदाओं के लिये निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा।

(ii) साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क ख(i) के अनुसार देय किराये का 60 गुनां एक मुश्त एक बार में लिया जाकर वास्तविक कब्जाधारी के हक में नियमन किया जायेगा।

(iii) उप किरायेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क ख(i) के अनुसार देय किराये का 120 गुना एक मुश्त एक बार में लिया जाकर वास्तविक कब्जाधारी उप किरायेदार के हक में नियमन किया जा सकेगा।

(iv) नियमन के बाद साझेदार/उपकिरायेदार के नवीन दर से किराया देय होगा ।